न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 59/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रूड़ाराम पुत्र श्री कन्हीराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम जनकसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. श्री निवास,
2. रमेशचन्द,
3. द्वारका प्रसाद,
4. श्यामसुन्दर,
5. वेदप्रकाश,
6. संजय,
7. जितेन्द्र कुमार पुत्रान सन्तरा देवी पुत्री शंकरलाल,
8. रामदुलारी,
9. मीनादेवी पुत्रीयान सन्तरादेवी पुत्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 वारिसान मृतक सन्तरादेवी पुत्री शंकरलाल

..... असल रेस्पोडेन्टान

10. विमलादेवी बेवा राधेश्याम,
11. दीपक कुमार,
12. नवीन कुमार,
13. सचिन कुमार पुत्रान राधेश्याम,
14. रघुवीर पुत्र शंकरलाल,
15. कैलाशचन्द,
16. नरेन्द्र कुमार,
17. जितेन्द्र कुमार पुत्रान श्रीराम,
18. विधादेवी स्त्री श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :–

1. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश यादव/श्री पूरणचन्द अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.04.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के निर्णय दिनांक 8.3.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 260/0.42, 275/0.23, 307/0.34, 309/0.30, 351/0.30, 353/0.28, 359/0.40, 364/0.37 कुल किता 8 रकबा 2.64 है0 वाके ग्राम नूरनगर हमारी विरासत की आराजी है जो इससे पूर्व वादनी व प्रतिवादीगण के दादा व पिता शंकरलाल की थी । विवादित आराजी शंकरलाल पुत्र मूलाराम के वादनी व प्रतिवादीगण श्रीराम, संतरा, रघुवीर, राधेश्याम हुए । अब श्रीराम व राधेश्याम फौत हो गये जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ल0 4 व 6 ल0 9 है जिसमें वादनी का 1/4 भाग व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 4 का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं0 5 का 1/4 तथा 6 ल0 9 का 1/4 भाग के हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है । राधेश्याम व श्रीराम फौत हो गये जिनके वारिसान के नाम इन्तकाल बाला–बाला 1/3–1/3 हिस्से का गलत रूप से व खिलाफ हकूक वादनी के दर्ज कराया है जो हकूक वादनी के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है । वादनी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें । प्रतिवादीगण विवादित आराजी को बाला–बाला बेचने की जुस्तजू में है जिन्होंने जबरन बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी । चूंकि विवादित आराजी हमारी विरासत की आराजी है और विरासत की आराजी में वारिसान का हक बाई बर्थ है । अगर प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को दीगर लोगों को बेचान कर दिया तो वादनी के हकूकों पर सीधा असर पड़ेगा । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करते हुए वाद वादीगण डिकी करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विद्वान तहत न्यायालय ने वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 8.3.2017 को वादीगण का वाद डिकी कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 8.3.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

चूंकि प्रार्थी रूडाराम पुत्र श्री कन्हींराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम जनकसिंहपुरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपीलांट को तहत न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की कार्यवाही में पक्षकार नहीं

Scanned by CamScanner

था । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित है तथा विवादित आराजी एवं अपील में अपीलाट का हित निहित है और अपीलांट पीडित पक्षकार है । इसलिए न्यायहित में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया । हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी एवं प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है क्योंकि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी को क्रय किया गया है । इसलिए न्यायहित में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 8.5.2014 को बाजाप्ता बाकायदा प्रतिफल की राशि अदाकर मय विधुत कनैक्शन आदि पर कब्जा प्राप्त कर खरीद की है तथा वक्त खरीद से ही अपीलांट बहैसियत खरीददार खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है तथा फसल बोता, काटता, समेटता चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी अपीलांट का ही कब्जा है लेकिन असल रेस्पो0 ने अपीलांट को जानकारी होने के उपरान्त भी तहत न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया और अपीलांट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये तहत न्यायालय में मिथ्या मनघड़न्त तथ्य व तारीख खिलाफ कानून मौका दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । विवादित आराजी अपीलांट ने प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की है । विवादित आराजी से असल रेस्पो0 व उनकी माता का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । तरतीबी रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट को उक्त विवादित आराजी बेचान की गई है जो तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट को तहत न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित है । विवादित आराजी एवं अपील में अपीलांट के हित निहित है । अपीलांट पीड़ित पक्षकार है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादनी का 1/4 हिस्सा है । कोई दस्तावेज यदि अवैध तरीके से पंजीबद्ध हुआ है तो उसको अवैध करार दिया जावें । तहत न्यायालय ने हमारा दावा सही डिक्री किया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अपीलांट तहत न्यायालय में कोई पक्षकार भी नहीं था । इसलिए उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अतः तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कानून सम्मत है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र दि0 25.4.2014 की प्रतियां प्रस्तुत की है जिसमें तरतीबी रेस्पो0 सं0 10 ल0 18 के द्वारा विवादित आराजी का प्रतिफल लेकर बेचान किया गया है तथा कब्जा भी दिया गया है । इससे यह तथ्य जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा प्रतिफल अदाकर विवादित आराजी को क्रय किया गया है जिसे तहत न्यायालय में वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि अपीलांट विवादित आराजी का बोनाफाईड परचेजर है और विवादित आराजी में उसका हित निहित है और पीड़ित पक्षकार है जिसें तहत न्यायालय में आवश्यक पक्षकार बनाना चाहिए था । साथ ही वादीगण का यह भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कर्तव्य था कि वह अपीलांट को पक्षकार बनाते लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा प्रकरण में कोई तनकीयात आदि भी नहीं बनायी गयी है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 8.3.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवाईज पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner